

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा
(निर्णय बड़जलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 54/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां कोर्ट कैंप
दायरा दिनांक: 15.12.2023
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. देवभरत उम्र 55 वर्ष पुत्र रामप्रताप
2. राजेन्द्र उम्र 32 वर्ष पुत्र देवभरत जाति मीणा निवासीगण ग्राम टारडा, तह0 अंता, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अंता, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मदनलाल गालव, श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक -अपीलार्थी
पेरोकार सरकार - रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 04/2023 बउनवान देवभरत वगे0 बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2023 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा प्रकरण संख्या 190/2023 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 06.02.2023 से अपीलार्थी को वाके ग्राम टारडा की सरकारी भूमि किस्म गै0मु0 तालाब सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 981 की 1.44 है0 भूमि पर फसल गेहूं, चना की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 720/- रुपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरुद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 22.08.2023 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अंता द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया एक दिवस में ही पूर्ण की जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी ने पूर्व में

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया हो तथा तथ्य भी रिकॉर्ड पर नहीं लिये कि अपीलार्थी को पूर्व में वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया गया हो। इस प्रकार अपीलार्थी पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा इसके उपरांत भी आरोपित तावान जमा करायी जा चुकी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी मानने में भूल की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पों पैरोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी ने पूर्व में वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया हो तथा तथ्य भी रिकॉर्ड पर नहीं लिये कि अपीलार्थी को पूर्व में वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया गया हो। इस प्रकार अपीलार्थी पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
- 4 रेस्पों पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वाके ग्राम टारडा की सरकारी भूमि किस्म गै0मु0 तालाब सम्बत् 2079 में खसरा संख्या 981 की 1.44 है0 भूमि पर फसल गेहूं चना की की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 720/- रुपये शास्ति से दण्डित किये जाने का न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा निर्णय दिनांक 06.02.2023 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा भी अपीलार्थी को पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 22.08.2023 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। अतः अपील खारिज की जावे।
- 5 प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पों पैरोकार सरकार पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा अपीलार्थी को वाके ग्राम टारडा की सरकारी भूमि किस्म गै0मु0 तालाब सम्बत् 2079 में खसरा संख्या 981 की 1.44 है0 भूमि पर फसल गेहूं चना की की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 720/- रुपये शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 06.02.2023 पारित किया गया। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.08.2023 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी ने पूर्व में वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया हो। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अंता की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सम्बत् 2078 में अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण सं0 305/22 निर्णय दिनांक 25.03.2022 से अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने पर सम्बत् 2079 में खसरा सं0 981 की रकबा 1.44 है0 पर पुनः अतिक्रमी होने

संभागीय आयुक्त
बरेilly संभाग, कोटा

पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 06.02.2023 से 720/- रूपये शास्ति आरोपित करते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है, किंतु उक्त निर्णय दिनांक 06.02.2023 में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा सम्वत 2078 में कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया था तथा कितनी शास्ति आरोपित की गई थी। तहसीलदार, अंता की पत्रावली में उपलब्ध बयान पटवारी दिनांक 08.02.2023 को होना प्रकट होता है, जबकि तहसीलदार, अंता द्वारा निर्णय दिनांक 06.02.2023 को ही पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 22.08.2023 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, अंता को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि "ग्राम टारडा की सरकारी भूमि किस्म गै0मु0 तालाब सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 981 की 1.44 है0 भूमि" पर से अपीलार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने बाबत अपीलार्थी परीक्षण न्यायालय तहसीलदार अंता में शपथ-पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार, अंता स्वयं अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलार्थी/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

- 6 निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा